Regarding need to provide compensation as per new land acquisition policy to the people whose lands have been acquired for establishment of power plant in Musamudi and Bhumka villages in Madhya Pradesh

डॉ. राजेश मिश्रा (सीधी) : सभापति महोदया, मेसर्स आर्यन पॉवर जनरेशन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को पॉवर प्लांट स्थापित करने हेतु ग्राम मूसामूड़ी के 374 खातेदारों की निजी भूमि और मध्य प्रदेश शासन की एकड़ भूमि अर्जित की गयी । इसी प्रकार ग्राम भुमका के 137 खातेदारों की निजी भूमियाँ मध्य प्रदेश शासन की भूमि का अर्जन किया गया । दोनों ग्रामों के कुल 511 खातेदारों की कुल 935.42 एकड़ एवं दोनों ग्रामों के मध्य प्रदेश शासन की कुल 133.00 एकड़ । खातेदारों और मध्य प्रदेश शासन की भूमि को मिला कर कुल 1068.42 एकड़ भूमि का अर्जन किया गया, इस अर्जन को किये हुए भी लगभग 15 वर्ष हो गए हैं | अर्जित की गयी भूमि में से लगभग 650 एकड़ भूमि आदिवासी परिवार की है, लगभग 75 एकड़ भूमि पिछड़े वर्ग के परिवारों की है तथा लगभग 250 एकड़ भूमि सामान्य वर्ग (जो अन्य गांव के निवासी हैं) के परिवारों की है । मेरा अनुरोध है कि यदि अधिकतम किसानों ने मुआवजा राशि नहीं ली हैं तो अधिग्रहण की कार्यवाही पुनः नए कानून के अनुसार करनी होगी । अतः नए कानून के अनुसार कार्यवाही करने के आदेश जारी किए जाएं । यदि उक्त कंपनी उद्योग को स्थापित करने में असफल हो रही है तो किसानों को वह जमीन वापस दे दी जाए ।